भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4899

01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना

4899. श्री जुगल किशोर:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री आलोक शर्मा:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना/स्कीम के उद्देश्य, कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 2025 तक उक्त योजना पर व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-बसों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए फास्ट चार्जर लगाने के लिए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है और देश भर में कितने फास्ट चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए जा रहे हैं और कितने फास्ट चार्जिंग स्टेशन कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या गुजरात और अन्य प्रमुख राज्यों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास की कोई विशिष्ट योजना है;

(ङ) क्या सरकार ने निजी कंपनियों को फास्ट चार्जर लगाने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से प्राप्त दावों के एवज में धनराशि संवितरित कर दी है;

(छ) इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं, सार्वजनिक परिवहन निकायों और अन्य पात्र लाभार्थियों को कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ज) क्या उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदानों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में लगे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी किया गया है; और

(झ) उक्त योजना के अतंर्गत मध्य प्रदेश को कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) : भारी उद्योग मंत्रालय ने 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम' को 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया है जिसका उद्देश्य देश में प्रदूषणरहित इलेक्ट्रिक वाहन (ग्रीन मोबिलिटी) और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारितंत्र का विकास करना है। 01.04.2024 से 31.03.2026 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए इस स्कीम का परिव्यय ₹10,900 करोड़ है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस)-2024 (जो 01.04.2024 से 30.09.2024 तक छह महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई थी) को **पीएम ई-ड्राइव स्कीम** में समाहित कर लिया गया है। इस स्कीम के तहत 01.04.2024 से 28.02.2025 तक कुल ₹423.23 करोड़ खर्च किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:

व्यय शीर्ष	**राशि करोड़ रुपये में**
सब्सिडी अर्थात ई-दुपहिया, ई-तिपहिया: ई-रिक्शा/ई-कार्ट और एल 5 के लिए मांग प्रोत्साहन	422
आईईसी सहित प्रशासनिक व्यय	1.23
सकल योग	**423.23**

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती। इस स्कीम के तहत आर्थिक प्रोत्साहन मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों (उपभोक्ताओं/अंत-प्रयोक्ताओं) को वाहन की खरीद मूल्य में अग्रिम छूट के रूप में दिया जाता है। यह प्रोत्साहन या रियायत फिर मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत पूरे भारत में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने (जिसमें ई-बसें और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं) के लिए ₹2,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17.12.2024 तक देश में 25,202 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन संबंधी दिशानिर्देश-2024" को 17.09.2024 को जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया गया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लाइसेंस-मुक्त कार्य माना गया है और कारोबारी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

(च) और (छ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत राज्य सरकारों या मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों (उपभोक्ताओं/अंत प्रयोक्ताओं) को वाहन की खरीद मूल्य में अग्रिम छूट के रूप में दिया जाता है। यह प्रोत्साहन या रियायत फिर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है। 01.04.2024 से 28.02.2025 तक इस स्कीम के तहत ई-दुपहिया और ई-तिपहिया के लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को ₹422 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई है। अब तक, इस स्कीम के तहत सार्वजनिक परिवहन निकायों को ई-बसों की तैनाती के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(ज) और (झ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के तहत स्थानीकरण लगातार बढ़ाने की अनिवार्यता घरेलू स्तर पर ईवी और इसके संघटकों के निर्माण को बढ़ावा देती है। हालांकि, इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश सहित किसी भी राज्य सरकार को इस उद्देश्य हेतु कोई प्रत्यक्ष वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है।

***